न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
बइजलास दिव्या आर.ए.एस.
अनुवान कृष्ण कुमार बनाम श्रवणकुमार आदि
दावा अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955
प्रार्थना पत्र सं. 38/2024
निर्णय दिनांक 16/05/2025

कृष्ण कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

– प्रार्थी

बनाम्

1. श्रवण कुमार पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. हरिराम पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर (चूरू)

–अप्रार्थीगण

उपस्थितिः

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 4

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा भूरा वल्द हुक्मा कौम जाट साकिन जयसंगसर के नाम से कृषि भूमि गत ख0नं0 410 तादादी 25 बीघा 27 बिश्वा, ख०नं० 757 तादादी 16 बीघा 15 बिश्वा कुल तादादी 42 बीघा 7 बिश्वा रोही मौजा जयसंगसर तहसील सरदारशहर व ख0नं0 4 तादादी 36 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा फोगां जालपानगी तहसील सरदारशहर में स्थित थी। भूरा के स्वर्गवास के बाद रोही जयसंगसर की कृषि भूमि ख. न. 410 व 757 धन्ना और श्रवण पुत्रगण भूरा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। बाद विभाजन कृषि भूमि ख०नं0 757 तादादी 16 बीघा 15 बिश्वा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता श्रवण कुमार पुत्र भूराराम में नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इसी प्रकार ख. नं 4 तादादी 36 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा फोगां जालपानगर्मी तहसील सरदारशहर की कृषि भूमि बाद विभाजन प्रार्थी के श्रवण कुमार पुत्र भूराराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार वादगत कृषि भूमियां प्रार्थी की दादालाई पैतृक पुश्तैनी, संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि रही है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। वादगत कृषि भूमि ख0नं0 4 तादादी 36 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा फोगां जालपानसर्की तहसील सरदारशहर के वर्तमान ख०नं० 4 तादादी 9. 1800 रोही मौजा फोगां जालपानगर्बी तहसील सरदारशहर व कृषि भुमि ख0नं0 757 के वर्तमान ख0नं0 902 तादादी 4.2400 हैक्टेयर रोही मौजा जयसंगसर कायम हुए। वादगत कृषि भूमियों का मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 ने मौखिक रूप से

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

व्यवहारिक बंटवारा कर रखा है और अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता है। वादगत कृषि भूमियां अकेले अप्रार्थी सं० 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और अप्रार्थी सं० 1 अप्रार्थी सं० 2 ता 3 के दबाव एवं प्रभाव में होने से वादगत कृषि भूमियों में से प्रार्थी को उसकी हिस्सा भूमि से वंचित कर कृषि भूमियों को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 को पैतृक पुश्तैनी भूमियों को बिना विधिवत विभाजन करवाये विक्रय करने का कोई हक अधिकार हासिल नहीं है। यदि अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 अपने अवैध कृत्यों में कामयाब हो गये तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करावे कि वोह वादगत कृषि भूमि को विक्रय, स्थानान्तरण, बैय, मुन्तकिल, रहन न करे। अप्रार्थी सं० 4 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद ना करे और नामान्तरण दर्ज तस्दीक नहीं करे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौराने विचारण दावा अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 को वर्जित किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि हाल ख० नं० 4 तादादी 9.1800 रोही मौजा फोगां जालपानगर्बी तहसील सरदारशहर एवं कृषि भूमि ख0नं0 902 तादादी 4.2400 हैक्टेयर रोही मौजा जयसंगसर तहसील सरदारशहर को अन्य किसी दिगर शख्स अथवा बैंक आदि के वैय, रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि नहीं करे, प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे और ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे प्रार्थी के विरास्तन कानूनी हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े तथा अप्रार्थी सं० 4 को पाबन्द किया जावे कि वोह वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र, रहननामा आदि दस्तावेज पंजीयन नहीं करे और उक्त रहननामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज तस्दीक नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार सींवर ने वकालतनामा व जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी सं0 5 पैरोकार राज उपस्थित नहीं आने पर जवाब पैरोकार राज बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस पक्षकारान सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के दादा भूरा वल्द हुक्मा कौम जाट साकिन जयसंगसर के नाम से कृषि भूमि गत ख. नं. 410 तादादी 25 बीघा 27 बिश्वा, ख०नं० 757 तादादी 16 बीघा 15 बिश्वा कुल तादादी 42 बीघा 7 बिश्वा रोही मौजा जयसंगसर तहसील सरदारशहर व ख. न. 4 तादादी 36 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा फोगां जालपानगी तहसील सरदारशहर में स्थित थी। भूरा के स्वर्गवास के बाद रोही जयसंगसर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 410 व 757 धन्ना और श्रवण पुत्रगण भूरा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। बाद विभाजन कृषि भूमि ख०नं0 757 तादादी 16 बीघा 15 बिश्वा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता श्रवण कुमार पुत्र भूराराम में नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इसी प्रकार ख. नं. 4 तादादी 36 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा फोगां जालपानगर्मी तहसील सरदारशहर की कृषि भूमि बाद विभाजन प्रार्थी के श्रवण कुमार पुत्र भूराराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार वादगत कृषि भूमियां प्रार्थी की दादालाई पैतृक पुश्तैनी, संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि रही है। जिसमें प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। वादगत कृषि भूमि हाल ख० नं० 4 तादादी 9.1800 रोही मौजा फोगां जालपानगर्बी तहसील सरदारशहर एवं कृषि भूमि ख0नं0 902 तादादी 4.2400 हैक्टेयर रोही मौजा जयसंगसर तहसील सरदारशहर को रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि नहीं करे, प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अर्ज किये कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया गया।

न्यायालय को प्रकरण में प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार पाये गये हैः–

प्रथम दृष्टया मामलाः कृषि भूमि गत ख0नं0 410 तादादी 25 बीघा 27 बिश्वा, ख०नं० 757 तादादी 16 बीघा 15 बिश्वा कुल तादादी 42 बीघा 7 बिश्वा रोही मौजा जयसंगसर तहसील सरदारशहर व ख0नं0 4 तादादी 36 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा फोगां जालपानगी तहसील सरदारशहर में स्थित थी। भूरा के स्वर्गवास के बाद रोही जयसंगसर की कृषि भूमि ख. नं. 410 व 757 धन्ना और श्रवण पुत्रगण भूरा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। बाद विभाजन कृषि भूमि ख०नं0 757 तादादी 16 बीघा 15 बिश्वा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता श्रवण कुमार पुत्र भूराराम में नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इसी प्रकार ख०नं० 4 तादादी 36 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा फोगां जालपानगर्मी तहसील सरदारशहर की कृषि भूमि बाद विभाजन प्रार्थी के श्रवण कुमार पुत्र भूराराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार वादगत कृषि भूमियां प्रार्थी की दादालाई पैतृक पुश्तैनी, संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि रही है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

सुविधा का संतुलनः कृषि भूमि ख0नं0 4 तादादी 36 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा फोगां जालपानसर्की तहसील सरदारशहर के वर्तमान ख. नं. 4 तादादी 9. 1800 रोही मौजा फोगां जालपानगर्बी तहसील सरदारशहर व कृषि भुमि ख0नं0 757 के वर्तमान ख. नं. 902 तादादी 4.2400 हैक्टेयर रोही मौजा जयसंगसर कायम हुए। वादगत कृषि भूमियों का मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 ने मौखिक रूप से व्यवहारिक बंटवारा कर रखा है और अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

अपूरणीय क्षति का सिद्धांतः हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की अविभाजित भूमि का बेचान करके प्रार्थी को काश्त करने से वंचित करना चाहता है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में ही कानूनन माना जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुके है तथा दौराने मूल वाद विचारण वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण व मौका स्थिति में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाली कानुनी जटिलताओं को रोकने के लिये वादग्रस्त भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है. इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है जो स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता–फैसला दावा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 4 तादादी 9.1800 रोही मौजा फोगां जालपानगर्बी एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 902 तादादी 4.2400 हैक्टेयर रोही मौजा जयसंगसर तहसील सरदारशहर के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति ता–फैसला दावा कायम रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, मूल वाद संख्या 146/2024 के साथ नत्थी हो।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/05/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)